न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 164 / 2016

1. पृथ्वीराज 2. रामलाल 3. गोरखा	पिसरान नन्दराम	जाति नायक निवासी 5 पी.बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. विद्या पत्नी नन्दराम 5. कृष्णलाल पुत्र मनफूलराम 6. शंकरलाल पुत्र मनफूलराम		

7. तारो पत्नी कुलदीप जाति नायक निवासी दुलापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. सुनील कुमार 9. कालूराम	पिसरान कुलदीप जाति नायक नाबालिग वली माता तारो बाई निवासी दुलापुर केरी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।	

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. मोहनाल 2. कुम्भाराम 3. बनवारीलाल 4. रामेश्वर 5. कृष्णलाल	पिसरान बृजलाल जाति नायक निवासी 5 डी बडी दुलापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
7. रामीदेवी पुत्री नन्दराम पत्नी छोगाराम जाति नायक निवासी खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. गुडडी पुत्री नन्दराम पत्नी श्योकरण जाति नायक निवासी 9 डी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

30/4/18

9. सीमा पुत्री नन्दराम पत्नी चिमनाराम जाति नायक निवासी 9 डी डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
10. पार्वती पुत्री नन्दराम पत्नी दयालाराम जाति नायक निवासी 26 पी.बी.एन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
11. कमला पुत्री नंदराम पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 12.07.2016

उपस्थितिः–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुरेश अरोडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 5

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 30.04.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 से 5 ने एक प्रा.पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.उप.अधि. की धारा 251क के तहत पेश कर चक 5 डी बडी के मु.नं. 33 के कि.नं. 1 में जो एक बिस्वा रास्ता चालू है उसे स्वीकृत करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 121.07.2016 को प्रा. पत्र स्वीकार कर मु.नं. 33 के कि.नं. 1 में 8–1/4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जहां पर रास्ता स्वीकृत किया गया

30/4/18

है। वहां पर सरकारी रास्ता बना हुआ है। नाका के साथ रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसके साथ मु.नं. 33 व 34 के सभी सहकाश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 5 ने अपनी बहस में प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जो रास्ता स्वीकृत किया है वह पूर्व से ही चालू है। रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी.एल.सी. की दर से दोगुणा राशि अपीलांट को दिलवाये जाने के आदेश दिये हैं जिससे अपीलांट को कोई नुकसान नहीं होगा। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रेस्पों. के लिए उपलब्ध नहीं है और न ही अपीलांट ने ऐसा कथन किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकरी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 12.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट की कृषि भूमि मु.नं. 33 में रास्ता स्वीकृत किया है जबकि रेस्पों. मु.नं. 32 में स्वीकृत रास्ते से अपनी आराजी मु.नं. 34 में आ जा रहे हैं। अतः वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी. न्यायालय द्वारा राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 251ए के तहत रास्ता स्वीकृत किया है। रास्ता स्वीकृत हेतु इस धारा की कियान्वति हेतु राज.काश्त.(सरकारी) संशोधन नियम 2012 में आज्ञापक प्रावधान दिये हैं जिसके सन्दर्भ नियम 69 में रास्ते के लिए Aims and Object निधार्रित है जिसकी Bare reading है कि 69. Enquiry and disposal of application.- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an-officer not below

30/4/18

the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved,

may allow the application. The application shall he decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

इन आज्ञापक प्रावधानुसार रास्ते की अति आवश्यकता होना जरूरी है न कि सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत किया जाए। वही वैकल्पिक रास्ता न होना प्रमाणित होना चाहिए। परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक राजस्व/16/142 दिनांक 29.01.2016 बिन्दु सं. 2 जो रास्ता स्वीकृत किया है वह सुविधाजनक है तथा रिपोर्ट के प्रस्तुत नजरी नक्शे में श्रीगंगानगर से हिन्दुमलकोट जाने वाली पक्की सड़क से मु.नं. 32 कि.नं. 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत है जो रेस्पों. की आराजी को जोडता है। अतः रेस्पों. को स्वीकृतशुदा रास्ता के अतिरिक्त Access प्राप्त होना प्रमाणित है। अतः अधी. न्यायालय द्वारा नियम 69(i)(ii) के प्रावधानों के विपरीत रास्ता स्वीकृत किया है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य होने से अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2016 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर